

2013/00024

प्रपत्र संख्या - III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर राज.

लालदीन बनाम अब्दूल खां
किस्म मुकदमा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/12	<p>पत्रावली पेश हुयी । वकील वादी उपस्थित । प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.05.2018 को प्राथमिक डिक्री किया गया था जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो शामिल मिसल किया । अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की तहसीलदार फलौदी द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावें । पत्रावली पर उलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है ।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम बापीणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 220 में वादीगण लालदीन, अलादीन, मुसेखां, पि. खेरे खां 3/4 सदाम हुसैन पि. मोहम्मद कासम 1/4 के बंट रकबा 60.16 बीघा भूमि, प्रतिवादीगण अब्दूल पि. कायमदीन 8/15, मूमल पत्नि मोहम्मद खां, हाजरो पत्नि निजामदीन, नेकत पत्नि सफीखां, मरवत पत्नि हजूरखां, उमती पत्नि नसरदीन, सखीना पत्नि निहालदीन 7/15 जाति सिपाही के बंट रकबा 60.15 बीघा भूमि विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है । विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा । तहसीलदार फलौदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम करें । डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय आज दिनांक 07/12/20 को सरे इजलास सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: right;">(यशपाल मोहंज आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जोधपुर</p>	

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

- वादीगण**
1. लालदीन पुत्र खेरे खां
 2. अलादीन पुत्र खेरे खां
 3. मुसे खां पुत्र खेरे खां
 4. सदाम हुसैन पुत्र मोहम्मद कासम
जाति मुसलमान निवासी बापीणी
तहसील फलौदी

- प्रतिवादी**
1. अब्दुल पुत्र कायमदीन
 2. श्रीमति मूमल पत्नि मोहम्मद खां
 3. श्रीमति हाजरो पत्नि निजामदीन
 4. श्रीमति नेमत पत्नि सफी खां
 5. श्रीमति मखन पत्नि हजूर खां
 6. श्रीमति उमती पत्नि नसरदीन
 7. श्रीमति सखीना पत्नि निहालदीन
सभी जाति मुसलमान निवासी
बापीणी तहसील फलौदी
 8. तहसीलदार फलौदी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 277/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे व हाजिर श्री सिकन्दर घोषि अधिवक्ता मिनजानिब पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम बापीणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 220 में वादीगण लालदीन, अलादीन, मुसेखां, पि. खेरे खां 3/4 सदाम हुसैन पि. मोहम्मद कासम 1/4 के बंट रकबा 60.16 बीघा भूमि, प्रतिवादीगण अब्दूल पि. कायमदीन 8/15, मूमल पत्नि मोहम्मद खां, हाजरो पत्नि निजामदीन, नेकत पत्नि सफीखां, मरवत पत्नि हजूरखां, उमती पत्नि नसरदीन, सखीना पत्नि निहालदीन 7/15 जाति सिपाही के बंट रकबा 60.15 बीघा भूमि विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। तहसीलदार फलौदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम करें। डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 सन् 2020
को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
ओहदा
कपोरी (बापपुरी)

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	-	-	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	-	-

नोट:- इस खर्च के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।